

क्र.सं.	दिनांक आहवा या कार्यवाही	आहवा विस्तृत रूप से	विशेष
	11/8/24	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी एवं भद्रार्थी संख्या 1 भी उपस्थित।</p> <p>भद्रार्थी संख्या 2 लगा. 7 पूर्व में उपस्थित थी आज अनुपस्थित है। अतः भद्रार्थी संख्या 2 लगा. 7 के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी एवं भद्रार्थी संख्या ① ने प्रार्थना पत्र अस्माई निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी एवं भद्रार्थी संख्या ① की प्रार्थना पत्र अस्माई निषेधाज्ञा पर बहस पुगी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन करने एवं उक्त पत्र अधिवक्ता की दौरे पर बहस जाहिर तर्कों पर मनन करने के पश्चात् विवादित आराजी श्रमि ख. न. 339 रकबा 1.51.64 हेक्टर स्थित ग्राम तहसील तहलील बंसरी जिला जयपुर में उक्त पत्रों को जरिये अस्माई निषेधाज्ञा से पोषद किया जाता है कि उक्त पत्र उक्त आराजी श्रमि पर लाई जाय वाद के मौजे व रिकोर्ड की यथास्थिति किये रखें।</p> <p>पत्रावली फंसल से शुभाह लेवरी काकिल पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	